दिनांक 30.01.2025
प्रेस विज्ञप्ति 43/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद महोबा/थाना कोतवाली नगर

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 02 लाख 25 हजार रूपये नगद**
- **लगभग 03 लाख 30 हजार रूपये कीमत के चोरी के 39.62 ग्राम पीली धातु**
- **चोरी की 01 लाइसेन्सी रिवाल्वर मय 38 कारतूस विभिन्न बोर**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 30.01.2025 को थाना कोतवाली नगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नहर पुलिया पठा रोड महोबा के पास से 03 अभियुक्तों 1—आशाराम उर्फ अस्सू 2—घनश्याम उर्फ घंसू 3—राजेश को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 02 लाख 25 हजार रूपये नगद, लगभग 03 लाख 30 हजार रूपये कीमत के चोरी के 39.62 ग्राम पीली धातु, चोरी की 01 लाइसेन्सी रिवाल्वर मय 38 कारतूस विभिन्न बोर, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 19.01.2025 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, पीली धातु एवं रिवाल्वर मय कारतूस उक्त चोरी की घटना

से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त आशाराम उर्फ अस्सू शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद महोबा के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, एनडीपीएस एक्ट, गुण्डा एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के एक दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—आशाराम उर्फ अस्सू निवासी हमीरपुर चुंगी न्यू सिटी महोबा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा।

2—घनश्याम उर्फ घंसू निवासी ग्राम सलारपुर थाना श्रीनगर जनपद महोबा।

3—राजेश निवासी ग्राम भड़रा थाना श्रीनगर जनपद महोबा।

<u>बरामदगी</u>

1—चोरी के 02 लाख 25 हजार रूपये नगद।

2—लगभग 03 लाख 30 हजार रूपये कीमत के चोरी के 39.62 ग्राम पीली धातु।

3—चोरी की 01 लाइसेन्सी रिवाल्वर मय 38 कारतूस विभिन्न बोर।

4—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

5—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

<u>जनपद रायबरेली/थाना हरचन्द्रपुर</u>

- **08 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटी गयी आर्टिगा कार**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **02 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 29/30.01.2025 को थाना हरचन्द्रपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दतौली के पास से 08 अभियुक्तों 1— अरविन्द कुमार

2–राजू 3–प्रमोद उर्फ प्रेमू 4–मो0हसीब 5–शुभम उर्फ सिन्टू 6–उदयप्रताप 7–मोहित 8–आदित्य को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटी गयी आर्टिगा कार, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, 02 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 06.01.2025 को थाना हरचन्द्रपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमशों द्वारा आर्टिगा कार लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हरचन्द्रपुर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद कार उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना हरचन्द्रपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अरविन्द कुमार निवासी गदिया मदार थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी।

2–राजू निवासी गदिया मदार थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी।

3–प्रमोद उर्फ प्रेमू निवासी गदिया मदार थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी।

4–मो0हसीब निवासी गदिया मदार थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी।

5–शुभम उर्फ सिन्टू निवासी दीनदयालपुर तकरोही इन्दिरा नगर कमिश्नरेट लखनऊ।

6–उदयप्रताप निवासी ग्राम शाहपुर थाना चेनारी जनपद रोहतास बिहार।

7–मोहित निवासी ग्राम अतागंज उसरी थाना सलोन जनपद रायबरेली।

8–आदित्य निवासी खाली सहाट थाना कोतवाली नगर जनपद रायबरेली।

बरामदगी

1–लूटी गयी आर्टिगा कार।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

3–02 मोबाइल फोन।

4–01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद मुरादाबाद/थाना कटघर

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 20 हजार 100 रूपये नगद**
- **चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण आदि बरामद**

दिनांक 30.01.2025 को थाना कटघर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 03 अभियुक्तों 1–पीकेश 2–मुनेश 3–दुर्वेश को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 20 हजार 100 रूपये नगद, चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 24.01.2025 को थाना कटघर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कटघर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कटघर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–पीकेश निवासी ग्राम कैली थाना हयातनगर जनपद सम्भल।

2–मुनेश निवासी ग्राम कैली थाना हयातनगर जनपद सम्भल।

3–दुर्वेश निवासी ग्राम कैली थाना हयातनगर जनपद सम्भल।

बरामदगी

1–चोरी के 20 हजार 100 रूपये नगद।

2–चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण आदि।

जनपद अलीगढ़/थाना खैर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 06 दो पहिया वाहन**
- **02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 30.01.2025 को थाना खैर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से चेकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों 1–मनीष उर्फ मन्नू 2–अमित 3–रोहित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 06 दो पहिया वाहन, 02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना खैर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मनीष उर्फ मन्नू निवासी ग्राम भूतगढी थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।

2–अमित निवासी ग्राम भूतगढी थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।

3–रोहित निवासी ग्राम भूतगढी थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1–चोरी की 06 दो पहिया वाहन।

2–02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस आदि।

जनपद सहारनपुर/थाना कोतवाली नगर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 415 ग्राम अवैध स्मैक**
- **06 हजार 140 रूपये नगद आदि बरामद**

दिनांक 29.01.2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नूर बस्ती से 03 अभियुक्तों 1–मुस्तफा 2–भूरा उर्फ रईस 3–अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 50 लाख रूपये

(अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 415 ग्राम अवैध स्मैक, 06 हजार 140 रूपये नगद आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मुस्तफा निवासी मोहल्ला नूर बस्ती थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।

2—भूरा उर्फ रईस निवासी मोहल्ला नूर बस्ती थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।

3—अभियुक्ता।

बरामदगी

1—लगभग 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 415 ग्राम अवैध स्मैक।

2—06 हजार 140 रूपये नगद आदि।

- **जनपद कुशीनगर/थाना कसया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 25—25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कुशीनगर द्वारा थाना कसया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/328/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—प्रेमप्रसाद 2—बाला प्रसाद 3—चाबस को आजीवन कारावास व 25—25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद श्रावस्ती/थाना कोतवाली भिनगा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद श्रावस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद श्रावस्ती द्वारा थाना कोतवाली भिनगा पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1—ननके को धारा 120(बी) सपठित धारा 302 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 2—अतुल देव को धारा 120(बी)

सपठित धारा 302 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हरदोई/थाना बेनीगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना बेनीगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अशोक को आजीवन कारावास व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद रायबरेली/थाना लालगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद रायबरेली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद रायबरेली द्वारा थाना लालगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त कृपाशंकर को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बहराइच/थाना रामगाँव (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 70 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना रामगाँव पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त जुगेश को 10 वर्ष के कारावास व 70 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद गोरखपुर/थाना बड़हलगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 09 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा थाना बड़हलगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/498 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त उमेश को 07 वर्ष के कठोर कारावास व 09 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————